तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
२६-०३-२०२५	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त वादीगण का वाद खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

वाद संख्या 33/2017 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 18.07.2017 श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

1. दिलकुश पुत्र लटूर जाति मीना निवास लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. विजेन्द्र पुत्र लटूर जाति मीना निवास लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
3. नरेन्द्र पुत्र लटूर जाति मीना निवास लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. शिंका बेवा नरेश पत्नी भरत जाति मीना निवासी वार्ड नं. 23 अनन्तपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
2. उप पंजीयक महोदय, लाखेरी उप तहसील लाखेरी जिला बून्दी, राज0।
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् अधिकार घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1.श्री बालकिशन रायका – अधिवक्ता वादीगण

2. अनुपस्थित(एकपक्षीय) – अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3

दिनांकः–26.03.2025

निर्णय

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 एल0आर0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खाता संख्या 381 के खसरा संख्या 753 रकबा 1.13है0 वाके ग्राम लबान पटवार हल्का लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है जिसके राजस्व रिकॉर्ड के खातेदार कॉलम में शिंका बेवा नरेश जाति मीना सा0 देह खातेदार अंकित चला रहा है। उक्त भूमि पूर्व में नरेश पुत्र लटूर जाति मीना निवासी लबान की कृषि भूमि थी जिसको उनके पिता लटूर ने संयुक्त हिन्दु भूमि की आय से क्रय किया था, खातेदार नरेश की मृत्यु दिनांक 21.07.2009 मेगा हाईवे पर दुर्घटना होने से हो गई पूर्व खातेदार नरेश लाऔलाद फौत होने व नरेश की मृत्यु के 1वर्ष बाद ही लगभग 2010 में मृतक की पत्नी शिंका ने भरत मीणा निवासी अनन्तपुरा कोटा से नाता विवाह कर लिया वर्तमान में भरत मीना के सहवास से एक पुत्र को जन्म दिया जो लगभग 5वर्ष का हो गया है किन्तु शिंका बेवा नरेश मीना ने अपने आप को मृतक खातेदार की पत्नी बताकर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत फौती इन्तकाल खुलवा लिया जो अवेध, शून्य, प्रभावहीन है

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क शिंका बेवा नरेश द्वारा भरत मीना निवासी अनन्तपुरा से नाता विवाह कर लिया एवं अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय गजार रही है। कानूनन मृतक पूर्व खातेदार की विधवा मृतक खातेदार की मृत्यु के बाद तृतीय पक्षकार से दुबारा शादी/नाता विवाह कर लेती है तो वह मृतक खातेदार की सम्पति में कुछ भी हक व अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं कर सकती है एवं जो भी उसने मृतक खातेदार के अगले वारिसानों को जावेगी इसलिए वाद वर्णित आराजी के अगले वारिसान मृतक भाई वादीगण है। मृतक खातेदार पक्षकार मीणा जाति से है और मीणा जाति अनुसूचित जन जाति की सूची में सूचीबद्ध है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति पर लागु नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या 1 शिंका का मृतक नरेश की सम्पत्ति में कोई हक अधिकार कानूनन नहीं बनता है जिससे वह अपने नाम का लाभ लेकर वाद वर्णित कृषि भूमि को रहन, बेचान, बय , दान हस्तानान्तरण करने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि पर कब्जा वादीगण का ही है। वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वे वाद वर्णित आराजी के सम्पूर्ण हिस्से पर वादीगण के खातेदार अधिकारों की घोषणा कराकर अपना नाम अंकित करावें एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम को विलोपित करावाकर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करावें। राज्य सरकार भूमिधारी को 2माह का नोटिस दिनांक 30.12.2015 को दिया जाकर नोटिस की मियाद निकलने के बाद भी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित नहीं किया व दिनांक 30.04.2016 को जबरन वाद वर्णित आराजी पर कब्जा करने की धमकी दी और कहा कि वाद वर्णित भूमि का बेचान करूंगी एवं वर्ष 2017 में जबरन हांकने पर आमाद हुयी तो वादीगण ने गांव के अन्य लोगो की मदद लेकर रोका तभी से वाद लगातार उत्पन्न हो रहा है। अन्त में निवेदन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार वाद विषयक आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित कर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादीगण ने उनके साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 दिलकुश, पी0डब्लू0 2 नरेन्द्र व गवाह पी0डब्लू0 3 रामभरोस, पी0डब्लू0 4 लटूर के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए जिनके बयान लेखबद्ध करवाये जाकर शामिल पत्रावली किए गए। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2072–75 खतौनी संख्या 420 वाके ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़, प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2068–71, प्रदर्श–4 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2068–71, प्रदर्श–5 नकल नमांतकरण संख्या 580 दिनांक 11.11.2010, प्रदर्श–6 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत हिंगोनियां, प्रदर्श–7 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत लबान, प्रदर्श–8 प्रमाण पत्र सेन्ट जस्टिस पब्लिक स्कूल कोटा, प्रदर्श–9 प्रति रजिस्टर्ड नोटिस, प्रदर्श–10,11 डाक विभाग की स्लिप, प्रदर्श–12,13 भारतीय डाक विभाग ए0डी0, प्रदर्श–14 लगायत 20 लगान रसीदें, प्रदर्श–21 सिंचाई विभाग रसीद पेश की है।

वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। वादीगण अभिभाषक ने वाद में अंकित वाद पत्र पर तथ्यों का दोहराव करते हुए तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में नरेश पुत्र लटूर जाति मीना निवासी लबान की कृषि भूमि थी जिसको उनके पिता लटूर ने संयुक्त हिन्दु भूमि की आय से

उपखण्ड अधिकारी
(बून्दी)

नरेन्द्र

किया था, खातेदार नरेश की मृत्यु दिनांक 21.07.2009 मेगा हाईवे पर दुर्घटना होने से हो गई पूर्व खातेदार नरेश लाऔलाद फौत होने व नरेश की मृत्यु के 1वर्ष बाद ही लगभग 2010 में मृतक की पत्नी शिंका ने भरत मीणा निवासी अनन्तपुरा कोटा से नाता विवाह कर लिया वर्तमान में भरत मीना के सहवास से एक पुत्र को जन्म दिया जो लगभग 5वर्ष का हो गया है किन्तु शिंका बेवा नरेश मीना ने अपने आप को मृतक खातेदार की पत्नी बताकर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत फौती इन्तकाल खुलवा लिया जो अवेध, शून्य, प्रभावहीन है। कानूनन मृतक पूर्व खातेदार की विधवा मृतक खातेदार की मृत्यु के बाद तृतीय पक्षकार से दुबारा शादी/नाता विवाह कर लेती है तो वह मृतक खातेदार की सम्पति में कुछ भी हक व अधिकार कांनूनन प्राप्त नहीं कर सकती है एवं जो भी उसने मृतक खातेदार के अगले वारिसानों को जावेगी इसलिए वाद वर्णित आराजी के अगले वारिसान मृतक भाई वादीगण है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार वाद विषयक आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित कर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 1995 पेज संख्या 181, आर0आर0डी0 1984 पेज संख्या 829, आर0एल0डब्लू0 2006(2)राज पेज संख्या 695 पेश किए।

हमने वादीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज प्रदर्श–5 नकल नामांतकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी, खसरा संख्या 753 रकबा 1.13हैक्टेयर भूमि पूर्व खातेदार नरेश आ0 लटूर मीना की मृत्यु होने से नामांतकरण संख्या 580 दिनांक 12.11.2010 से फौती इंतकाल तस्दीक होने से प्रतिवादी संख्या 1 शिंका बेवा नरेश मीना का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। प्रदर्श–1 लगायत 4 जमाबंदी, नक्शा ट्रेस व खसरा गिरदावरी के अवलोकन से यह साबित है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी शिंका बेवा नरेश जाति मीना के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवं वह उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। प्रदर्श–9 लगायत 13 से राज्य सरकार को नोटिस दिया जाना जाहिर है। प्रदश–14 लगायत 21 से उक्त भूमि पर पूर्व खातेदार नरेश आ0 लटूर का कब्जा काश्त होना जाहिर है। प्रदर्श–6 लगायत 7 में वादीगण ने अपने वाद में अंकित कथन प्रतिवादी संख्या 1 का नाता विवाह होने को साबित करने बाबत सरपंच ग्राम पंचायत लबान, हिंगोनियां का प्रमाण पत्र लगाया गया है उक्त प्रमाण पत्र में कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारा यह प्रमाण पत्र किस क्रमांक से जारी किया गया है उल्लेख नहीं किया गया है एवं उक्त दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 1 शिंका के नाता विवाह को प्रमाणित करने बाबत् विश्वसनीय दस्तावेज नहीं हैं। प्रदर्श–8 में वादीगण द्वारा जो विद्यालय का प्रमाण पत्र पेश किया है वह विद्यालय के लेटर पेड पर नहीं होकर हस्तलिखित है जिसे किसके द्वारा जारी किया गया है उसके नाम एवं पदनाम अंकित नहीं होने से इसे प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 शिंका के नाता विवाह से संबंधित कोई पुख्ता दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है न ही ऐसा कोई गवाह पेश किया है जो इस कथन को साबित कर सके। वादीगण ने अपने वाद पत्र में अंकित कथनों को साबित करने हेतु कोई पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य हमारे सम्मुख पेश नहीं किया है, वादीगण द्वारा वाद कथन बाबत् केवल मौखिक साक्ष्य पेश किए जो पर्याप्त नहीं है और न ही

उपखण्ड अधिकारी
कापरेन (बून्दी)

ण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादीगण द्वारा वादी संख्या 1 के पक्ष में खौले गए नामांतकरण को निरस्त करवाने बाबत् कोई कार्यवाही सक्षम स्तर पर पेश की हो। हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा यह वाद प्रश्नगत भूमि को उनके पिता लटूर ने संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब की आय से क्रय करना, पूर्व खातेदार मृतक नरेश की पत्नी शिंका द्वारा नाता प्रथा से पुनः विवाह कर लेने से उसका मृतक पति की सम्पत्ति में हक अधिकार समाप्त हो जाना एवं वादीगण का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा होना इत्यादि बिन्दुओं को अधार बनाकर पेश किया गया था जिसे साबित करने में वादीगण असफल रहे है जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है साथ ही वादीगण यहां किसी प्रकार के अनुतोष के अधिकारी नहीं है। हमारे मत में वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचीत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.. मुकाम.............लाखेरी...........................
व इजलास........श्रीमती भावना सिंह(आर०ए०एस)..

1. दिलकुश पुत्र लटूर जाति मीना निवास लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. विजेन्द्र पुत्र लटूर जाति मीना निवास लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
3. नरेन्द्र पुत्र लटूर जाति मीना निवास लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1. शिंका बेवा नरेश पत्नी भरत जाति मीना निवासी वार्ड नं. 23 अनन्तपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
2. उप पंजीयक महोदय, लाखेरी उप तहसील लाखेरी जिला बून्दी, राज0।
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत 88,89,188 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर 33/दावा/2017 सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे...........व हाजिरी .....वादिया अधिवक्ता श्री बालकिशन रायका ......मिनजानिब मुद्दई रूबरू...प्रतिवादीगण.................. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि —

वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

निज.......................................मुबलिग...बाबत..

...............खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....

..फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....................का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 03 सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
मुहर ओहदा लाखेरी(बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।